संख्या : /2019–36(05)/2015

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग(जलागम) देहरादून : दिनांक 19 मार्च, 2019

विषयः वित्तीय वर्ष 2018–19 में जलागम प्रबन्ध निदेशालय अन्तर्गत संचालित राज्य स्तरीय जलागम अनुश्रवण परिषद हेतु प्राविधान के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 1432/3(150)/XXVII(1)/2018 दिनांक 17.12.2018 तथा शासनादेश संख्या 519/3(150)–2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02.04.2018 एवं अपर निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय के पत्र संख्या 2529/3–2(ब)/रा0स्त0ज0अनु0परि0/2018–19 दिनांक 11 मार्च, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जलागम प्रबन्ध निदेशालय अन्तर्गत संचालित राज्य स्तरीय जलागम अनुश्रवण परिषद हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में व्यवस्थित धनराशि में से संलग्न विवरणानुसार रु0 12.50 लाख (रु0 बारह लाख पचास हजार मात्र)की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2(1). स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करते हुए सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 02.04.2018 में वित्त विभाग द्वारा दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2(2). उक्तानुसार आवंटित धनराशि का उपयोग किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृत प्राप्त किया जाना आवश्यक हो । ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

2(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उन्हीं मदों में किया जायगा, जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है।

2(4). स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुदान संख्या – 17के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म–001 निदेशन तथा प्रशासन–11–राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद के अन्तर्गत संलग्न सूची में अंकित सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

4. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 610/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्टनम्बर/अलॉटमेंट आई0डी0S1903170409 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.12.2018 एवं दिनांक 02.04.2018 द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या :172/2019–36(05)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार, आडिट, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौडी।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक कोषागार उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मदन सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या 172 /2019–36(05)/2015 दिनांक 19 मार्च, 2019 का संलग्नक।

(धनराशि हजार रु0 में)

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु बजट प्राविधान	वर्तमान में अवमुक्त धनराशि
02–मजदूरी	600	300
04–यात्रा भत्ता	100	50
06–अन्य भत्ते	100	50
07–मानदेय	100	50
08–कार्यालय व्यय	240	120
09–विद्युत इेस	100	50
10–जलकर	20	10
11–लेखन सामग्री	10	10
12–कार्यालय फर्नी0	100	50
13–टेलीफोन	50	25
16–व्य0 तथा विशेष सेवा	600	300
17–किराया उपशुल्क	240	120
18–प्रकाशन	20	10
19–विज्ञापन	10	05
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	50	50
47–कम्प्यूटर अनु0	100	50
	2440	**1250**

(रु0 बारह लाख पचास हजार मात्र)

(मदन सिंह)
अनु सचिव।